**न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर**
**रसद प्रार्थना पत्र सं. 83/2019**

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

....प्रार्थी

**बनाम**

1– श्री ओमप्रकाश मदनानी, उचित मूल्य दुकान संख्या 102, अजमेर।
निवासी– पन्नीग्राम चौक, अजमेर।

.....अप्रार्थी

**प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम**

उपस्थित :–1– श्री अब्दुल सादिक प्रर्वतन अधिकारी, पैराकार सरकार

*आदेश*

दिनांक 19.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी के विरूद्ध अवैध रूप से केरोसीन विक्रय की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी के निर्देश दिये जाने पर प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.9.2019 को अप्रार्थी की पन्नीग्राम चौक, अजमेर शहर स्थित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर एक आधे कट ड्रम में 60 लीटर एवं एक जरीकेन में 10 लीटर कुल 70 लीटर केरोसीन जैसा तरल भण्डारित पाया गया। अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पुछताछ में उपभोक्ताओं द्वारा कलर वार्निश इत्यादि के कार्य की मांग पर उसके द्वारा "मिनरल ऑयल" के नाम से बिकने वाला यह तरल जयपुर से मंगवाना तथा जिसका बिल सप्लायर द्वारा नहीं दिया जाना जाहिर किया गया। अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान पर बिना वैद्य अनुमति के अवैध रूप से केरोसिन जैसा तरल/"मिनरल ऑयल" भण्डारित पाया जाने पर इस 70 लीटर तरल को जप्त कर निकटवर्ती उचित मूल्य दुकानदार घनश्याम शर्मा, एफ.पी.एस.संख्या 6–ए को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु दिया गया। सुपुर्दगी से पूर्व इसके तीन सेम्पल लेकर एक सेम्पल अप्रार्थी दुकानदार को संभलाया गया। उचित मूल्य दुकान पर PDS गैहूँ के भौतिक सत्यापन पर पोस मशीन के अनुसार स्टॉक लगभग 13025 किग्रा सही पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा घनी आबादी क्षेत्र में बिना अनुमति एवं PDS के केरोसीन के विभागीय आवंटन के अवैध रूप से बाजार से क्रय कर उचित मूल्य दुकान के माध्यम से ज्वलनशील तरल के विक्रय किया जाने का कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन आदेश 1976) के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधि. 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज लिया गया जब्त शुदा 67 लीटर केरोसीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आयें जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.9.2019 को अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर कुल 70 लीटर केरोसीन जैसा तरल भण्डारित पाया गया। अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पुछताछ में इसके बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं ना ही इससे सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज ही प्रस्तुत किये गये। बिना अनुमति एवं PDS के केरोसीन के विभागीय आवंटन के अवैध रूप से बाजार से क्रय कर उचित मूल्य दुकान के माध्यम से

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

ज्वलनशील तरल के विक्रय किया जाने का कृत्य, राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन आदेश 1976) के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधि. 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज लिया गया जब्त शुदा 67 लीटर केरोसीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा केरोसीन का अवैध रूप से भण्डारण एवं दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी द्वारा मेरा 70 लीटर तारपीन का तेल जब्त कर लिया गया यह तेल मेरे द्वारा घर पर दीपावली के पूर्व साफ सफाई व रंग रोगन के कार्य के लिए रखा हुआ था। मेरी दुकान को पिछले डेढ–दो वर्षो से केरोसीन आवंटन नहीं हुआ है केवल गैहूँ का ही आवंटन हुआ है। पडौसी दुकानदार द्वारा झूठी शिकायत पर अप्रार्थी के घर के उपयोग हेतु लाया गया तारपीन का तेल जप्त किया गया है जो मुझे वापिस लौटाया जाकर प्रकरण निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी के विरूद्ध अवैध रूप से केरोसीन विक्रय की शिकायत पर प्रार्थी द्वारा बाद जांच अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान से अवैध रूप से भण्डारित कुल 70 लीटर केरोसीन बरामद किया गया है। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र तथ्यों का जरिये साक्ष्य सबूत खण्डन नहीं किया गया है। इससे अप्रार्थी का उपरोक्त अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अप्रार्थी द्वारा बिना वैद्य अनुज्ञापत्र व अधिकार के अवैध गतिविधियों द्वारा कैरोसिन क्रय कर कैरोसिन का अवैध भण्डारण एवं विक्रय किये जाने का कृत्य Kerosene (Restriction on use & Fixation of ceiling Price) order 1993 के क्लाज 3(1) एवं राजस्थान खाद्यन्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन आदेश 1976 के क्लाज 4 का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधि. 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जांच उक्त अवैधानिक कृत्य के कब्जे राज लिया गया केरोसीन 67 लीटर मय ड्रम एवं जरीकेन के राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी जप्त केरोसीन का नियमानुसार अन्तिम निस्तारण कर प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner